विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 01/परीक्षा/RAS-RTS/2016–17 **दिनांक : 28.04.2016**

आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2016 के लिये कार्मिक विभाग द्वारा सूचित पदों हेतु **ऑन लाइन आवेदन पत्र (On Line Application form) आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक विज्ञापित एक या एक से अधिक सेवाओं के लिए एक ही आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें।(टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों पर भर्ती** राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014के तहत् की जाएगी।) **शासन से प्राप्त सेवावार कुल रिक्त पदों(पदों की संख्या में कमी/वृद्धिकी जा सकती है।)का विवरण निम्नानुसार है:–**

राज्य सेवाएं

क्र. सं.	सेवा का नाम	वेतनमान	कुल पद
1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा	15600 – 39100 (GP – 5400)	**88**
2	राजस्थान पुलिस सेवा	15600 – 39100 (GP – 5400)	**67**
3	राजस्थान लेखा सेवा	15600 – 39100 (GP – 5400)	**137**
4	राजस्थान सहकारी सेवा	9300 – 34800 (GP – 4800)	**9**
5	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा	9300 – 34800 (GP – 4800)	**1**
6	राजस्थान कारागार सेवा	9300 – 34800 (GP – 4800)	**3**
7	राजस्थान उद्योग सेवा	9300 – 34800 (GP – 4800)	**–**
8	राजस्थान राज्य बीमा सेवा	15600 – 39100 (GP – 5400)	**4**
9	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा	9300 – 34800 (GP – 4800)	**–**
10	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा	9300 – 34800 (GP – 4800)	**15**
11	राजस्थान पर्यटन सेवा	9300 – 34800 (GP – 4800)	**–**
12	राजस्थान परिवहन सेवा	9300 – 34800 (GP – 4800)	**–**
13	राजस्थान महिला एवं बाल विकास सेवा	15600 – 39100 (GP – 5400)	**10**
14	राजस्थान देवस्थान सेवा	9300 – 34800 (GP – 4800)	**–**
15	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा	15600 – 39100 (GP – 5400)	**–**
16	राजस्थान महिला विकास सेवा	15600 – 39100 (GP – 5400)	**–**
17	राजस्थान श्रम कल्याण सेवा	9300 – 34800 (GP – 4800)	**–**
	कुल पद		**334**

अधीनस्थ सेवाएं

क्र. सं.	सेवा का नाम	वेतनमान	गैर टीएसपी क्षेत्र पद	टीएसपी क्षेत्र पद
18	राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा	9300 – 34800 (GP – 3600)	–	–
19	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा	9300 – 34800 (GP – 3600)	–	–
20	राजस्थान तहसीलदार सेवा	9300 – 34800 (GP – 4200)	**194**	**16**
21	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा	9300 – 34800 (GP – 3600)	**19**	–
22	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (नियोजन)	9300 – 34800 (GP – 3600)	–	–
23	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	9300 – 34800 (GP – 3600)	**6**	–
24	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा	9300 – 34800 (GP – 3600)	–	–
25	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	9300 – 34800 (GP – 3600)	**125**	**6**
26	राजस्थान महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा	9300 – 34800 (GP – 4200)	–	–
27	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी)	9300 – 34800 (GP – 4800)	**17**	–
28	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी)	9300 – 34800 (GP – 4200)	**8**	–
29	राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा (सामाजिक सुरक्षा अधिकारी)	9300 – 34800 (GP – 4200)	–	–
30	राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा	9300 – 34800 (GP – 3600)	–	–
	कुल पद		**369**	**22**

नोट :– शासन से रिक्त पदों का सेवावार, वर्गवार विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथासमय आयोग की वेब–साईट पर जारी कर दिया जाएगा।

विशेष नोट:– (1) केवल टी.एस.पी. क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टी.एस.पी. क्षेत्र/गैर टी.एस.पी. क्षेत्र (सामान्य क्षेत्र) के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें, अन्यथा उन्हें टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध लाभ देय नहीं होगा।

(2) अधीनस्थ सेवाओं की क्रम संख्या 21 एवं 25 के पदों में ही विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं। अतः इन आरक्षित पदों हेतु संबंधित विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी ही आवेदन करें एवं आवेदन–पत्र के कॉलम में DC (विभागीय कर्मचारी) का उल्लेख अवश्य करें,अन्यथा DC वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। अन्य आवेदक इन पदों हेतु DC के कॉलम की पूर्ति नहीं करें।

अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के सम्बन्ध में :–

राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों हेतु राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी के नाते परीक्षा में (राज्य सेवाओं में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए) बैठने हेतु आवेदक को निम्न शर्तें पूर्ण करना चाहिए :–

अनुभव :–He must have completed not less than five years of service whether officiating or substantive, on the Ist day of January 2017.

नोट:– आवेदक को दिनांक 01.01.2017 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त है, उसका दिन, माह व वर्ष की पूर्ति निर्धारित कॉलम में अंकन अवश्य करें।

In filling the vacancies so reserved the candidates who are "non-gazetted employees" shall be eligible for appointment in the order in which their names appear in the list irrespective of their relative marks as compared with other candidates.

If a sufficient number of candidates who are non-gazetted employees is not available for filling all the vacancies so reserved, the remaining vacancies shall be filled by appointing other candidates in the list.

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission.

आयु सीमा	**दिनांक 01.01.2017** को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 35 से कम। **अराजपत्रित कर्मचारी** दिनांक 1 जनवरी, 2017 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परन्तु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	उस भूतपर्वू कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी।
2	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।
3	राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive)तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
4	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
5	राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
6	एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
7	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निमुग्क्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
8	रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

नोट–

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) शासन से प्राप्त सेवावार, वर्गवार वर्गीकरण मे किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होने पर भी ऊपरी आयु सीमा में अभ्यर्थी को उसके वर्ग हेतु देय अधिकतम् आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।

(3) उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2013 में विज्ञापित किया गया था। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा वर्ष 2014 एवं 2015 में जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2017 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **दो वर्ष की छूट देय होगी।**

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **मुख्य परीक्षा से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरण**:– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	प्रारम्भिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **प्रारम्भिक परीक्षा केसभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप में ली जावेगी।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर अलग से जारी किया जाएगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	उक्त पदों की प्रारम्भिक परीक्षा 28.08.2016 को लिया जाना प्रस्तावित है। **प्रारम्भिक परीक्षाराजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने की संभावना है।** परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आवेदक द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। अतः आयोग द्वारा स्वविवेक से परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है। **मुख्य परीक्षाराजस्थान के सभी संभागीय जिला मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने की संभावना है।**
आवेदन अवधि	**दिनांक 10-05-2016से दिनांक 25-06-2016** रात्रि **12–00** बजेतक।
आवेदन प्रक्रिया	**1. ई–मित्र केन्द्रों पर परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक 23.06.2016 होगी एवं ऑन–लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक 25.06.2016 होगी।** **2. आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क हेतु नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कराने की पूर्व में जारी नेट–बैंकिंग सुविधा के स्थान पर अब राज्य सरकार की ऑन–लाईन ई–ग्रास (Government Receipts Accounting System) से जमा कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त ई–मित्र पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग सुविधा से भी परीक्षा शुल्क जमा कराया जा सकता है।** **3. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का देय सुविधा शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।**
आवेदन पत्र में ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन **दिनांक 26-06-2016 से दिनांक 25-07-2016** रात्रि **12–00** बजे तक।

(1) Scheme of examination: The Combined Competitive Examination will be held in two successive stages-
(i) Preliminary Examination, and (ii) Main Examination

(i) Preliminary examination : The Preliminary Examination will consist of one paper on the subject specified below, which will be of objective type and carry a maximum of 200 marks. The examination is meant to serve as a screening test only. The Standard of the paper will be that of a Bachelor's Degree Level. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidates, who are declared qualified for admission to Main Examination will not be counted for determining their final order of merit.

Subject	Maximum Marks	Time
General Knowledge & General Science	200	Three hours

(ii) Main examination:

(a) The number of candidates to be admitted to the Main Examination will be 15 times the total approximate number of vacancies (category wise) to be filled in the year in the various Services and posts, but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks as may be fixed by the Commission for any lower range will be admitted to the Main Examination.

(b) The written examination will consist of the following four papers which will be descriptive/analytical. A candidate must take all the papers listed below which will also consist of question paper of brief, medium, long answer and descriptive type questions. The standard of General Hindi and General English will be that of Sr. Secondary level. The time allowed for each paper shall be 3 hours.

	Papers	Maximum Marks
Paper I	General Studies-I	200
Paper II	General Studies-II	200
Paper III	General Studies-III	200
Paper IV	General Hindi and General English	200

(2)Personality and viva-voce Examination(See rule 15):-

(i) Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test of the Main Examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test which carries 100 marks.

(ii) The Commission shall award marks to each candidate interviewed by them. In interviewing the candidates besides awarding marks in respect of character, personality, address, physique, marks shall also be awarded for the candidate's knowledge of Rajasthani culture. However for selection to the Rajasthan Police Service, candidates having 'C' Certificate of N.C.C. shall be given preference. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each such candidate.

(3) General Instructions :

(i) All papers shall be answered either in Hindi or in English, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi and partly in English unless specifically allowed to do so.

(ii) If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

(iii) Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

(4) Syllabus and scope of the papers :- The syllabus and scope of each paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों व सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार परिवर्तनीय होगी तदनुरूप भर्ती/परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसके लिए यथासमय सूचित कर दिया जावेगा।)

विशेष सूचना :–"यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब–साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के तहत् आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही त्रुटि संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें।इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in**या **http://rpsconline.rajasthan.gov.in**पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(बी.एल.कोठारी)
सचिव